



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226232
CG-DL-E-30032021-226232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943

No. 124]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

फा.सं. सी-603/जे&के पीसीसी/ विधि-2021.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं.6) की धारा 4, खंड (4) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं.14) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो.) संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के संबंध में, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निहित अपनी सभी शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट निम्न वर्णित समिति को प्रत्यायोजित करता है:

- | | |
|---|-----------|
| 1. अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति | - अध्यक्ष |
| 2. अपर सचिव, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर | - सदस्य |
| 3. प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर | - सदस्य |
| 4. प्रशासनिक सचिव, आवासन एवं शहरी विकास विभाग, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर | - सदस्य |
| 5. प्रशासनिक सचिव, परिवहन विभाग, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर | - सदस्य |

- | | |
|---|--------------|
| 6. प्रशासनिक सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर | - सदस्य |
| 7. आयुक्त, नगर निगम, जम्मू | - सदस्य |
| 8. चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू | - सदस्य |
| 9. क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जम्मू या उनके नामिती | - सदस्य |
| 10. डॉ. पंकज चंदन, निदेशक, प्रकृति, वन्यजीव और जलवायु परिवर्तन,
राष्ट्रीय विकास प्रतिष्ठान (एनडीएफ), जम्मू | - सदस्य |
| 11. प्रोफेसर अनिल के. रैना, पर्यावरणीय विज्ञान विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय | - सदस्य |
| 12. सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके नामिती | - सदस्य |
| 13. प्रबंध निदेशक, लघु उद्योग निगम, जम्मू और कश्मीर | - सदस्य |
| 14. सदस्य सचिव, जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति | - सदस्य सचिव |

और,

- (i) इस समिति को जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति कहा जाएगा।
- (ii) यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

शिव दास मीना, अध्यक्ष, के.प्र.नि.बो.

[विज्ञापन III/4/असा./560/20-2021]

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

F.No. C-603/J&K PCC/Legal-2021.—In exercise of the power conferred by Section 4, clause (4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and Section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981), the Central Pollution Control Board (CPCB) delegates all its powers vested under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, in respect of the Union Territory of Jammu & Kashmir to the under mentioned committee specified by the Central Government:

- | | |
|---|------------|
| 1. Chairman, Jammu & Kashmir Pollution Control Committee | - Chairman |
| 2. Additional Secretary, Forest, Ecology & Environment Department, Union Territory of Jammu & Kashmir | - Member |
| 3. Administrative Secretary, Industries & Commerce Department, Union Territory of Jammu & Kashmir | - Member |
| 4. Administrative Secretary, Housing & Urban Development Department, Union Territory of Jammu & Kashmir | - Member |
| 5. Administrative Secretary, Transport Department, Union Territory of Jammu & Kashmir | - Member |
| 6. Administrative Secretary, Health & Medical Education Department, Union Territory of Jammu & Kashmir | - Member |

-
- | | |
|---|--------------------|
| 7. Commissioner, Municipal Corporation, Jammu | - Member |
| 8. Medical Superintendent, Government Medical College, Jammu | - Member |
| 9. Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jammu, or his/her Nominee | - Member |
| 10. Dr. Pankaj Chandan, Director, Nature, Wildlife & Climate Change, National Development Foundation (NDF), Jammu | - Member |
| 11. Professor Anil K. Raina, Department of Environmental Science, University of Jammu | - Member |
| 12. Member Secretary, Central Pollution Control Board or his/her Nominee | - Member |
| 13. Managing Director, Small Industrial Corporation, Jammu & Kashmir | - Member |
| 14. Member Secretary, Jammu & Kashmir Pollution Control Committee | - Member Secretary |

And,

- (i) This Committee may be called as Jammu & Kashmir Pollution Control Committee.
- (ii) The Notification shall come into force with immediate effect.

SHIV DAS MEENA, Chairman, CPCB

[Advt-III/4/Exty/560/20-2021]